न्यायालय :– सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–द्वितीय

पीठासीन अधिकारी :– ज्ञान प्रकाश, आर एच जे एस

जमानत आवेदन पत्र संख्या :– 3245/2022

निजाम खान पुत्र श्री खाजू खान, आयु–41 वर्ष, निवासी छापर की ढाणी, खोहनागोरियान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर। हाल निवासी ए–74, बसन्त विहार, लूनियावास, गोनेर रोड, जयपुर।

––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए लोक अभियोजक

––अप्रार्थी

जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता सी0 आर0 संख्या 08/2022 पुलिस थाना रेलवे सुरक्षा बल, गांधीनगर, जयपुर अपराध अन्तर्गत धारा 3 आर.पी. (यू.पी.) एक्ट एवं 147 रेलवे एक्ट

उपस्थिति :–

1. श्री कैलाश चन्द मीणा, अधिवक्ता–प्रार्थी/अभियुक्त।
2. श्री सन्त कुमार जैन, लोक अभियोजक–राज्य सरकार।

:: आदेश :: दिनांक : 07.10.2022

1– प्रार्थी/अभियुक्त निजाम खान की ओर से जरिए अधिवक्ता जमानत का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया। बहस जमानत आवेदन सुनी गई। केसडायरी का अवलोकन किया गया।

2 बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि इस प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। उनका तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त मजदूरी करता है, जिनको रेलवे की सम्पत्ति चोरी होने का ज्ञान नहीं था एवं उनका आरोपित अपराध से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। सह अभियुक्तगण नदीम, शंकर व रतिराम को इस न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ दिया जा चुका है, जिससे वर्तमान अभियुक्त का मामला भिन्न नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त 41 वर्षीय व्यक्ति है, जो इस प्रकरण में दिनांक 29.09.2022 से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी से कोई बरामदगी व अनुसंधान

शेष नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी को जमानत की सुविधा का लाभ दिए जाने का निवेदन किया गया।

3 इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त की अपराध में भूमिका एवं उसके आपराधिक आचरण के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अस्वीकार करने का निवेदन किया।

4 हमने उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया तथा केसडायरी का परिशीलन किया।

5 केसडायरी के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि दिनांक 05.09.2022 को मंसुनिक जयपुर से किमी 220/5–6 खातीपुरा–कानोता रेलवे स्टेशनों के मध्य रेल लाईन चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर चैक करने पर लॉट नंबर 42, स्टॉक नंबर 03 से कुल 07 नग अनुपयोगी रेल लाईन स्क्रेप 52 किलोग्राम कम पाई गई, जिनकी अनुमानित कीमत 1,96,000/–रूपये आंकी गई, जिस पर रेलवे सुरक्षा बल गांधीनगर, जयपुर पर सी0 आर0 संख्या 08/2022 पंजीबद्ध कर दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

6 पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि इस मामले में वर्तमान अभियुक्त पर सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर रेलवे की सम्पत्ति चोरी करने का आरोप है। हालांकि वर्तमान अभियुक्त निजाम के विरूद्ध अन्य कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने की बात सामने नहीं आई है तथा इस प्रकरण के सह अभियुक्तगण नदीम, शंकर मीणा व रतिराम मीणा को इस न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ दिया जा चुका है परंतु अनुसंधान में यह तथ्य सामने आये है कि वर्तमान अभियुक्त एवं मुफीद उर्फ झाबरा ने मिलकर सह अभियुक्त नदीम, शंकर मीणा व रतिराम से रेलवे लाईन के टुकडों को कटर से कटवाया एवं लोडेड पिकअप को लेकर गंगापुरसिटी के लिए रवाना हो गए तथा रास्ते में अभियुक्तगण रतिराम, नदीम व शंकर को उतार दिया तथा वर्तमान अभियुक्त ने मुफीद के साथ मिलकर पिकअप का आदर्श धर्मकांटा में तोल करवाकर चोरीशुदा माल अली कबाडी को 1,47,000/–रूपये में विक्रय कर दिया, इस प्रकार अनुसंधान पत्रावली पर आए उक्त तथ्यों के अनुसार वर्तमान अभियुक्त इस प्रकरण का मुख्य अभियुक्त होना जाहिर हुआ है एवं उसके अतिरिक्त इस प्रकरण के मुख्य अभियुक्त मुफीद उर्फ झाबरा व कबाडी अली बताए गए है। इस प्रकरण के मुख्य अभियुक्त मुफीद उर्फ झाबरा का जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.10.2022 को अस्वीकार किया जा चुका है, जिससे वर्तमान अभियुक्त का मामला भिन्न नहीं है तथा

उपरोक्त परिस्थितियों में वर्तमान अभियुक्त का मामला अभियुक्तगण रतिराम, नदीम व शंकर मीणा से पूर्णतः भिन्न है, अतः वर्तमान अभियुक्त के आपराधिक आचरण व उसकी आपराधिक भूमिका को देखते हुए उपरोक्त सभी परिस्थितियों में वर्तमान अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित नहीं समझता हूँ। अतः उसकी ओर से प्रस्तुत यह जमानत आवेदन अस्वीकार किए जाने योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

. अतः प्रार्थी/अभियुक्त निजाम खान द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

--SD--
सेशन न्यायाधीश,
जयपुर महानगर–द्वितीय

आदेश आज दिनांक 07.10.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

--SD--
सेशन न्यायाधीश,
जयपुर महानगर–द्वितीय

एके